

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर-लेक (जयपुर)

राजस्व लोक अदालत केम्प

हिगोनिधा

मुकदमा नम्बर

वादी-

कृष्णलाल पुत्र नाथूराम जाति काठ  
नि. देखा का वात - यॉनर कम्पल

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है

ग्राम हिगोनिधा पटवार हल्का हिगोनिधा तहसील डि. रेनवाल  
के आराजी खसरा नम्बर 470/1, 470/110, 470/11

में वादी का नाम व विवरण कृष्णलाल पुत्र नाथूराम जाति काठ

के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र नाथूराम जाति काठ

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.नि. / तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में गजमेंआग में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

लगातार 2

अति: चौकी को चंद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
रुद्राशम पुत्र नाथूराम जाति फार शेष फार. बंद.	रुद्राशम पुत्र नाथूराम जाति फार शेष फार. बंद.
रकम ५७० ५७० ५७० ९ १० ११	५७० ५७० ५७० ९ १० ११
ग्राम हिंगोनीका	ग्राम हिंगोनीका

५/११/१८  
१६/५/१८

रि. रं. न. व. ल.

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार .....  
को राजस्व रिकार्ड में अमल दसावद हेतू लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
सांभर-लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते  
Copy - Not Official